६९.

बाल विवाह और दहेज प्रथा बंद करने एवं अंतर्जातीय विवाह तथा स्त्री शिक्षा प्रसार हेतु सक्रिय. ग्राम स्वराज संघ के सदस्य बनाने एवं गांधी जी के संदेश को घर-घर पहुंचाने में अग्रणी. सन् १९६५ में महाविद्यालय में सामाजिक सचिव. एडवोकेट्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष. प्रतिक्रियावादी और सामंतवादी ताकतों के अन्याय एवं शोषण के विरूद्ध संघर्ष एवं जेल यात्रा. सन् १९७२ में पांचवीं, सन् १९८० में सातवीं एवं सन् १९८५ में आठवीं विधान सभा के सदस्य निर्वाचित. सन् १९७८-७९ में कांग्रेस के अनेक आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी, आठवीं विधान सभा में दिसम्बर, १९८९ से मार्च, १९९० तक जनशक्ति नियोजन, पुनर्वास विभाग के मंत्री रहे. म.प्र. पिछड़ा वर्ग संगठन के प्रांताध्यक्ष, म.प्र. सेतु निर्माण निगम के अध्यक्ष रहे. म.प्र. कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष.

सन् १९९८ में चौथी बार विधान सभा सदस्य निर्वाचित.